



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082026-275676
CG-DL-E-22082026-275676

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4459]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22, 2026/श्रावण 31, 1948

No. 4459]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 22, 2026/SHRAVAN 31, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त 2026

का.आ. 4642(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (2026 का 20) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एम. VI-11/5/2024-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डर्मल, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2026

S.O. 4642(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 (20 of 2026), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification in the official Gazette as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. M.VI-11/5/2024-Mines VI]

DR. VEENA KUMARI DERMAL, Addl. Secy.